फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कमलेश बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 116/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का वादपत्र पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 1.1800 है प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसके पुराने खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा है, 267 के पुराने खसरा नम्बर 796 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 797 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 805 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा रहे है। यह है कि खसरा नम्बर 404 रकबा 0.2800 है0 गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत गढ की भूमि है। 404 के पुराने खसरा नम्बर 261 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा थे, 261 के नए नम्बर 390, 391, 392, 393, 404 बने है। भूमि खसरा नम्बर 261 के पुराने नम्बर 806 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा थे। खसरा नम्बर 261 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा तथा 267 की तरमीम अलग अलग थी। तथा आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 796, 797, 805 की तरमीम अलग थी। आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा में से खातेदार गंगासहाय पुत्र सोन्या कोली तथा पांच्या पुत्र सुकल्या कोली ने 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत राणोली के नाम समर्पण कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 81 के द्वारा खसरा नम्बर 161/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा बनाये लेकिन तरमीम नहीं की गई, आराजी खसरा नम्बर 261/1 की तरमीम खसरा नम्बर 261 में से ही करनी थी, सेटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा संवत 2008–2009 की नक्शाशीट बनाते समय आराजी खसरा नम्बर 404 प्रार्थीगण के कब्जे की जगह प्रार्थीगण की पूर्व की नक्शाशीटो में प्रार्थीगण की भूमि की जगह डाल दिए। जबकि उन्हें साबिक नक्शाशीट अनुसार ही तरमीम करनी चाहिए थी। इसलिए उपरोक्तानुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब स्टेट तलब किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि साबिक खसरा नंबर 261 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा मं से 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का समर्पण गाम पंचायत राणोली को होने से वर्तमान खसरा नंबर 404 की तरमीम वर्तमान खसरा नंबर 393 में से होनी चाहिए थी। वर्तमान नक्शाशीट में खसरा नंबर 393 में से 0.2800 है0 की तरमीम कर खसरा नंबर 404 दिये जाने चाहिए थे तथा वर्तमान नक्शाशीट में खसरा नंबर 404 का क्षेत्र साबिक नक्शाशीट संवत 2000 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 403 में मर्ज	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

होना चाहिए। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरणर नकल में आबादी रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का नक्शा नहीं बना हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण नकल में आबादी रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का नक्शा नही बना हुआ है। साबिक नक्शाशीट में उक्त स्थान पर से फटा हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामा में भी कोई नक्शा आदि नहीं बना हुआ है। मुताबिक नक्शाशीट संवत 2000 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बर 404 का क्षेत्र खसरा नम्बर 403 में शामिल होना चाहिए।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। प्रकरण में एवं जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। वर्तमान खसरा नम्बर 403 एवं 404 की तरमीम अलग अलग रही है। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि नक्शाशीट संवत 2000 में वर्तमान खसरा नम्बर 404 की वर्तमान तरमीम की जगह साबिक खसरा नम्बर 805 की तरमीम की गई थी एवं खसरा नम्बर 805 के वर्तमान नम्बर 403 बने है इसलिए वर्तमान खसरा नम्बर 404 का क्षेत्र खसरा नम्बर 403 में शामिल होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 404 के क्षेत्र को खसरा नम्बर 403 में शामिल करते हुए विवादित भूमि की तरमीम तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा